राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग,जयपुर

आदेशिका

परिवाद संख्या– 21/24/4233 **दिनांक–23.09.2021**

एकलपीठ

समक्षः– माननीय अध्यक्ष जस्टिस श्री गोपाल कृष्ण व्यास

आज दिनांक 23.09.2021 को कोटा अंक के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि **''अदालत परिसर में बदमाशों ने चाकू लहराए, वकील व पक्षकारों में मची अफरा–तफरी''**

राज्य के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में यह अंकित किया गया है कि बुधवार को दोपहर पौने एक बजे तीन–चार बदमाश युवक अपने हाथों में चाकू व देशी कट्टे लहराते हुए न्यायालय परिसर में पहुच गये। इससे अफरा–तफरी का माहौल हो गया। इस घटना से वकीलों एवं पक्षकारों और आमजन भयभीत हो गये। पकडने की कोशिश करने पर बदमाश युवक परिसर के गेट नम्बर 03 से भाग गये, यह घटनाक्रम 20 मिनट तक चलता रहा। समाचार में यह भी प्रकाशित हुआ है कि बदमाश अपने हाथों में चाकू लेकर दूसरे पक्ष के लोगों की तरफ भागते हुए नजर आये। आज अपराधियों द्वारा बेखोफ होकर खुले आम शस्त्रों का प्रयोग कर अधिवक्ताओं व पक्षकारों में भय व्याप्त करने

का प्रयास किया गया। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

इस प्रकार की घटना निश्चय ही मानव अधिकारों का खुला हनन है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और न ही किसी के मानव अधिकारों के हनन करने का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को खुले आम चाकू अथवा बन्दूक लहराने, चलाने की इजाजत कानूनी रूप से कभी नहीं दी जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उक्त खबर पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाता है।

इस **आदेश की प्रतिलिपि महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेन्ज, कोटा, जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, कोटा** को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग के अवलोकनार्थ एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें :—

1— न्यायालय के सम्पूर्ण परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में क्या—क्या व्यवस्थाऐं पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा की गई है।

2— न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण की सुरक्षा के संबंध में क्या—क्या सुरक्षा व्यवस्थाऐं की गई है।

3— अब तक न्यायालय परिसर में सीसी टीव कैमरे क्यों नहीं लगाये जा सके है।

RJ

4– पेशी पर आने वाले प्रार्थी/परिवादी एवं अप्रार्थी/अभियुक्त की सुरक्षा हेतु क्या इंतजामात किये गये है।

5– इस प्रकार की घटना पूर्व में कब–कब हुई एवं उन पर अब क्या कार्यवाही की गई है।

प्रकरण में **आज ही नोटिस** जारी किया जावे एवं आदेश मय प्रकाशित समाचार की प्रतिलिपि के आज ही जरिये **फैक्स एवं ईमेल** संबंधित को प्रेषित की जावे।

पत्रावली दिनांक 29.09.2021 को पेश हो।

(न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास)
अध्यक्ष

• बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़े वकील, लेकिन गेट नंबर 3 से भाग छूटे

अदालत परिसर में बदमाशों ने चाकू लहराए, वकील व पक्षकारों में मची अफरा-तफरी

लीगल रिपोर्टर | कोटा

बुधवार को दोपहर पौने एक बजे तीन-चार बदमाश युवक अपने हाथों में चाकू व देशी कट्टे लहराते हुए न्यायालय परिसर में पहुंच गए। इससे अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इस घटना से वकीलों, पक्षकारों और आमजन भयभीत हो गए। वकीलों ने हिम्मत नहीं हारी और वकीलों की भीड़ बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। सभी बदमाश युवक परिसर के गेट नंबर 3 से भाग खडे हुए। यह घटनाक्रम 20 मिनट तक चलता रहा।

इसी बीच में नयापुरा सीआई मुकेश मीणा और कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज बदन सिंह सूचना मिलते ही पुलिस जाप्ते के साथ न्यायालय परिसर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने बदमाशों को तलाशने को लेकर पूरे परिसर की छानबीन शुरू की। लेकिन बदमाश वहां नहीं मिले। हुआ यूं कि बदमाश अपने हाथों में चाकू लेकर न्यायालय परिसर में घूमते हुए नजर आए। बदमाश युवक चाकू लेकर दूसरे पक्ष के लोगों की तरफ भागते हुए नजर आए।

अभिभाषक परिषद का प्रतिनिधिमंडल मिला जिला जज व्यास से

अभिभाषक परिषद अध्यक्ष मनोज गौतम, महासचिव पदम गौतम के नेतृत्व में वकीलों का प्रतिनिधिमंडल जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास से मिला। घटना के बारे में जानकारी दी। दोनों पदाधिकारियों ने जिला जज व्यास से आग्रह किया कि न्यायालय में सुरक्षा बढ़ाई जाए। न्यायालय में केवल पेशी पर आने वाले लोगों को आने दिया जाए। उन्होंने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की। इस पर जिला जज व्यास ने उन्हें आश्वासन दिया है।

बदमाशों पर हो कठोर कारवाईः रामबाबू मालव

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सहवरित सदस्य राम बाबू मालव ने बताया कि न्याय के मंदिर अदालत परिसर में आज अपराधियों द्वारा बेखोफ होकर खुले आम शस्त्रों का प्रयोग कर अधिवक्ताओं व पक्षकारों में भय व्याप्त करने का प्रयास किया गया। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

पुलिस ने जांच शुरू कीः नयापुरा थानाधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि एक मामले में कोर्ट पहुंचे एक पक्ष के लोगों ने सूचना दी थी कि उनके विरोधी पक्ष के कुछ लोग चाकू लेकर न्यायालय में पहुंचने की सूचना मिली थी। नयापुरा थाने की टीम ने मौके पर पहुंच कर अदालत परिसर में घूम रहे संदिग्धों की तलाश शुरू की जहां कोई भी वहां युवक नहीं मिले। सूचना के बाद न्यायालय परिसर में नयापुरा थाना पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। मीणा ने बताया कि रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। नयापुरा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

अध्यक्ष गौतम ने दी डीएसपी को सूचनाः अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज गौतम ने बताया कि न्यायालय परिसर में आए दिन मारपीट की घटनाएं हो रही है। पुलिस सुरक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। आज न्यायालय परिसर में इस घटना से लोग भयभीत हुए हैं। उन्होंने इस घटना के बारे में डीएसपी भगवत सिंह हिंगड़ को बताया। इस सूचना पर नयापुरा सीआई मुकेश मीणा और आरएसी के जवान न्यायालय परिसर पहुंच गए थे।

RJ